

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

पत्र सं०:- पी०पी०एम०-78/2016-

3981


/क०, पटना दिनांक 11/10/2017

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-पी०पी०एम०-78/2016-3495 दिनांक 01.09.2017 की कंडिका-13 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है,

पूर्व प्रस्ताव	संशोधित प्रस्ताव
निदेशक उद्यान, बिहार, पटना योजनान्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना योजनान्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी०टी०सी०-46 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना के पी०एल०ए० खाता संख्या-291 में आंतरित की जायेगी।

2. अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

  
11.10.2017  
(सुधीर कुमार)  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी०पी०एम०-78/2016


3981

/क०, पटना, दिनांक

11/10/

2017

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11.10.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी०पी०एम०-78/2016


3981

/क०, पटना, दिनांक

11/10/

2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11.10.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी०पी०एम०-78/2016


3981

/क०, पटना, दिनांक

11/10/

2017

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
11.10.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

